

न्यायालय- द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला-भिण्ड
(समक्ष : पी०सी०आर्य)

सिविल अपील क्रमांक: 14/2015

संस्थापन दिनांक 15/06/2015

फाइलिंग नंबर-230303008022015

1. दरगाह बाबा कपूर मस्जिद दारुगरान
स्थित वार्ड नं०-11 गोहद जिला भिण्ड
द्वारा पेश इमाम व मुजाबिर पीर खां निवासी दरगाह
स्थित वार्ड नं०-11 परगना गोहद जिला भिण्ड
.....वादी/अपीलार्थी

वि रू द्ध

1. नूर मोहम्मद खा
2. हसन मोहम्मद
पुत्रगण दीनमोहम्मद निवासीगण वार्ड नं०-08
पुराने थाने के पीछे गोहद जिला भिण्ड
.....प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण

न्यायालय-श्री केशव सिंह व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-एक, गोहद द्वारा
व्यवहार वाद क्रमांक-45ए/2013 ई०दी० में पारित आदेश दिनांक
06/05/2015 से उत्पन्न सिविल अपील।

वादी/अपीलार्थी द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।
प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण पूर्व से एकपक्षीय।

-:- निर्णय -:-

(आज दिनांक 21 दिसंबर 2016 को खुले न्यायालय में पारित)

1. वादी/अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त प्रथम सिविल अपील धारा-96
सी०पी०सी० के अंतर्गत श्री केशवसिंह व्यवहार न्यायाधीश वर्ग एक, गोहद द्वारा
व्यवहारवाद क्रमांक-45ए/2015 ई०दी० में दि-06/05/2015 को घोषित निर्णय से
व्यथित होकर पेश की गयी है। जिसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने
वादी/अपीलार्थी का मूल वाद खारिज किया है, जिसमें वादी ने प्रतिवादीगण से
दुकान खाली कराए जाने एवं किराया दिलाए जाने की प्रार्थना की थी।
2. प्रकरण में यह स्वीकृत है, कि प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण मूल वाद में भी
एकपक्षीय रहा था, और अपील में भी एकपक्षीय है।
3. वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है, कि वादी दरगाह बाबा कपूर

मस्जिद दारुगरान जो वार्ड क्रमांक 11 में स्थित है, उसका विधिवत मुजाबिर पेश इमाम (सेवा पूजा करने वाला व्यक्ति) है, वादी की नियुक्त प्र०क्र०-02/05/06बी/121 के आदेश दिनांक 14/11/06 से की गई है, तब से आज तक वादी/अपीलार्थी निरंतर व निरंतर दरगाह बाबा कपूर की सेवा पूजा करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण दरगाह बाबा कपूर मस्जिद दारुगरान के स्वामित्व व आधिपत्य की दुकान में 70/-रुपए माहवार से किराएदार होकर आवाद है, प्रतिवादीगण पर जनवरी 2007 से वादी का किराया बकाया है अनेक बार मांगने पर वह टाल-मटोल कर किराए का भुगतान नहीं कर रहा है, पूर्व में नूरमोहम्मद ने किराए का भुगतान नहीं किया था, तब अनुविभागीय अधिकारी गोहद के प्र०क्र०-05/87-88 व 100 के द्वारा संचालित प्रकरण में दिनांक 20/04/91 से जनवरी 1992 तक का बकाया किराया देना स्वीकार किया था और न्यायालय के समक्ष 315/-रुपए पूर्व अध्यक्ष श्री मुंशी खां को भुगतान किए थे, प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त दुकान के किवाड़ों व दीवारों को क्षतिग्रस्त कर दिया है, इस प्रकार प्रतिवादीगण ने सारवान हानि पहुंचाकर न्यूसेंस भी कारित किया है, वादी वादग्रस्त दुकान का पुनर्निर्माण करना चाहता है, जो दुकान खाली कराए बिना नहीं कराया जा सकता है, इसलिए दुकान खाली कराया जाना आवश्यक है।

4. वादी ने अपने वादपत्र में आगे यह भी उल्लेख किया है, वादी ने 03 साल का बकाया किराया व दुकान खाली कराए जाने बाबत दावा पेश किया है, 03 वर्ष पूर्व का किराया बैरूम्याद होने से छोड़ रहा है, वादी 03 वर्ष का किराया 2520/-रुपए दुकान का खाली कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है, इसलिए वादी को 03 वर्ष का किराया, व दुकान का कब्जा दिलाए जाने की डिक्री प्रदान करने की प्रार्थन की थी।
5. प्रकरण में विचारण के दौरान प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी।
6. वादी/अपीलार्थी की ओर से अपील ज्ञापन मुताबिक यह आधार लिया गया है, कि विवादित संपत्ति दरगाह शरीफ बाबा कपूर मस्जिद दारुगरान वार्ड नंबर-11 गोहद में स्थित है, जिसकी दुकान में प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण 70/-रुपए मासिक भाडे के किराएदार है, और उन्होंने किराए का भुगतान नहीं किया है, जिसे उक्त दरगाह के नियुक्त मुजाबिर पेश इमाम पीर खां की आरे से नोटिस भी दिया गया था, किंतु उसके बावजूद भी दुकान का किराया अदा नहीं किया तथा दुकान को तीन-चार वर्ष से अकारण बन्द किए हुए है, और उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, तथा दुकान क्षतिग्रस्त कर दी है, और दरगाह की सम्पत्ति को सारवान क्षति पहुंचाते हुए न्यूसेंस उत्पन्न किया है, जिसके कारण अवशेष किराए की वसूली एवं विवादित दुकान का रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने के लिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में सिविल वाद प्रस्तुत किया गया था, जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इस आधार पर निरस्त कर दिया है, कि वादी/अपीलार्थी को वक्फ कमेटी भोपाल की ओर से नियुक्त नहीं किया गया है, जब कि उसे दरगाह की सेवा पूजा करने वाले व्यक्ति माना और मामला एकपक्षीय होने के बावजूद प्रस्तुत की गई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का सही

मूल्यांकन नहीं किया, गुणदोषों पर कोई विचार नहीं किया, जबकि वक्फ अधिनियम 1995 की धारा-3 (i) की परिभाषा विस्तृत है, जिसमें वक्फ संपत्ति की व्यवस्था व प्रबंध करने वाले व्यक्ति भी शामिल है, जिसके अनुसार पीर खां मुजाबिर व पेश इमाम नियुक्त होकर व्यवस्था करता है, जिसे विचार में नहीं लिया है, इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय व डिक्री दिनांकित 06/05/15 अपास्त किए जाने योग्य होने से अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय अपास्त कर मूल वाद डिक्री किया जावे और विवादित दुकान का रिक्त आधिपत्य व विधिक अवधि का अवशेष किराए का भुगतान कराया जावे।

7. अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि –
 - 1 “क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल वाद क्रमांक 45ए/2013 ई०दी० में दिनांक 06/05/2015 को घोषित निर्णय व डिक्री विधि एवं साक्ष्य के प्रतिकूल होकर अपास्त किये जाने योग्य है ?”
 - 2 “क्या वादी/अपीलार्थी का मूल वाद डिक्री किये जाने योग्य है ?”

निष्कर्ष के आधार

8. उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एवं सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।
9. वादी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील ज्ञापन में लिए गए आधार और उठाए गए बिन्दुओं अनुरूप ही तर्क करते हुए, यह कहा है, कि वक्फ अधिनियम 1995 की धारा-3(i) में जो परिभाषा दी गई है, उसमें संपत्ति की व्यवस्था करने वाला व्यक्ति शामिल है, परिभाषा विस्तृत है, और पीर खां को दरगाह बाबा कपूर मस्जिद दारुगरान वार्ड नंबर 11 गोहद के लिए एस०डी०ओ० के द्वारा ओकाफ विभाग के पत्र के पालन में विधिक कार्यवाही करते हुए प्र०पी०-07 मुताबिक मुजाबिर व पेश इमाम नियुक्त किया गया था, इसलिए पीर खां को दावा करने का विधिक अधिकार है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की प्रकृतिक संरक्षक जिला कलेक्टर होता है, और एस०डी०ओ० जिला कलेक्टर के अधीन होकर उनकी शक्तियों के तहत प्राप्त अधिकारों के तहत कार्यवाही करता है, नियुक्ति को लेकर कोई विवाद भी नहीं था, तथा प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण प्रारंभ से ही एकपक्षीय है, ऐसे में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष कि वक्फ कमेटी भोपाल की ओर से पीर खां को नियुक्त न किए जाने के आधार पर उसे कोई अधिकार नहीं है, यह विधि विरुद्ध है, तथा एकपक्षीय रूप से निष्कर्ष विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के पूर्वाग्रह को दर्शाता है, इसलिए उक्त प्रावधान के तहत वाद गुणदोषों पर विचार योग्य था, और डिक्री योग्य था, किंतु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने गुणदोषों पर तो कोई विचार ही नहीं किया, इसलिए प्रस्तुत सिविल अपील स्वीकार की जाकर मूल वाद डिक्री किया जावे।
10. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय डिक्री एवं मूल अभिलेख का अध्ययन किया गया, वादी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा उठाए गए बिन्दुओं और अपील ज्ञापन मुताबिक लिए गए आधारों पर चिंतन मनन किया गया, यह

सुस्थापित विधि है, कि प्रथम अपीलीय न्यायालय को भी अभिलेख पर आई संपूर्ण साक्ष्य की आधार पर निष्कर्ष निकालना चाहिए जैसा कि न्याय दृष्टांत **भनवारी बाई एवं गोकुल प्रसाद विरुद्ध मोतीलाल 1980 भाग-02 एम0पी0डब्लू0एन शॉर्टनोट-114** में मार्गदर्शित किया गया है, कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का यह कर्तव्य है, कि वह अपील का निराकरण करते समय संपूर्ण साक्ष्य को विचार में लेते हुए निराकरण करे, इसलिए विचाराधीन प्रथम सिविल अपील में उक्त सिद्धांत का पालन करना होगा और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होगा क्योंकि प्रतिवादी के एक पक्षीय होने के आधार पर वादी के आधार को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है, बल्कि उसे स्वयं अपने आधारों को प्रमाणित करना होता है।

11. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन करने से यह विदित है, कि मूल वाद में दरगाह बाबा कपूर मस्जिद दारुगरान वार्ड नंबर 11 गोहद की ओर से मुजाबिर व पेश इमाम की हैसियत रखते हुए पीर खां द्वारा दरगाह की दुकानों में से एक दुकान के किराएदार नूरमोहम्मद एवं हसन मोहम्मद के विरुद्ध विधिक अवधि के अवशेष किराए की वसूली एवं दुकान का रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने के लिए सिविल वाद दिनांक 23/04/12 को पेश किया था, और मूल वाद में प्रत्यर्थागण/प्रतिवादीगण जरिए अभिभाषक उपस्थित हुए थे, तथा उनकी ओर से वाद की ग्रहिता संबंधी आदेश-07 नियम-11 धारा-151 सी0पी0सी0 के तहत आपत्ति उठाई थी, जिसका दिनांक 28/03/14 को निराकरण होने के बाद वादी साक्ष्य के प्रक्रम पर दिनांक 07/07/14 को प्रत्यर्थागण/प्रतिवादीगण के अकारण अनुपस्थित हो जाने से एकपक्षीय कार्यवाही संस्थित की गई, तत्पश्चात एकपक्षीय रूप से विचारण करते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06/05/15 को आलोच्य निर्णय व डिक्री प्रदत्त करते हुए, मूल वाद को मूलतः इस आधार पर निरस्त किया है, वादी/अपीलार्थी को वक्फ कमिटी की ओर से नियुक्त किए जाने का प्रमाण नहीं है, जिससे उसे कोई अधिकार होना दर्शित नहीं होता है, तथा वक्फ कमिटी द्वारा उसे वक्फ सम्पत्ति के प्रबंधन के संबंध में कोई निर्देश नहीं दिया गया है, इसलिए उसे कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है जबकि यह बिन्दु दिनांक 28/03/14 को अंतर्वर्ती आदेश के समय भी देखना चाहिए था, कि वाद आगे विचारण योग्य है, या नहीं।

12. मूल प्रकरण में वादी/अपीलार्थी की ओर से दावा पूर्व दिए गए मांग सूचनापत्र एवं किराएदारी समाप्ती का प्र0पी0-01 का नोटिस दिनांक 10/02/12, उसकी रजिस्ट्री की डाक रशीदें प्र0पी0-02 व 03 और पावतियां प्र0पी0-04 एवं 05 तथा एस0डी0ओ0 गोहद द्वारा आयुक्त ग्वालियर संभाग एवं ओकाफ विभाग के पत्र क्रमांक क्यू/ओकाफ/04/नेमफुर्क/06 ग्वालियर दिनांक 22/05/06 के आधार पर कार्यवाही करते हुए, पूर्व नियुक्त मुजाबिर मुंशी खां के मृत्यु प्रमाणपत्र व पीरखां की ओर से मुजाबिर व पेश इमाम की नियुक्ति हेतु दिया गए आवेदनपत्र पर, इश्तेहार द्वारा प्रकाशन कराए जाने और कोई आपत्ति न होने के पश्चात प्रस्तुत तथ्यों पर विचार करने के पश्चात उसे उक्त दरगाह का मुजाबिर(दरगाह की देख रेख करने वाला व्यक्ति) व पेश इमाम (नमाज पढ़ाने वाला व्यक्ति) नियुक्त किया गया, तथा उसे नेमफुर्क (पारिश्रमिक) भुगतान की भी स्वीकृति प्रदान की गई और

प्र०पी०-07 का आदेश तहसीलदार (ऑफिस कानूनगो शाखा) गोहद की ओर कार्यवाही हेतु भी भेजा गया, उक्त दस्तावेजों का अभिलेख पर प्रत्यर्थागण/प्रतिवादीगण के एकपक्षीय होने से खण्डन नहीं है, तथा प्र०पी०-06 के रूप में एस०डी०ओ० गोहद के प्रकरण क्रमांक 05/87-88/ब-100 आदेश दिनांक 11/02/92 की प्रमाणित प्रतिलिपि भी पेश की गई है, जिसके मुताबिक प्रत्यर्थागण/प्रतिवादीगण नूरमोहम्मद 70/-रुपए मासिक का किराएदार होना और पूर्व में भी किराया आदायगी में बिलंब किया जाना प्रकट करता है, क्योंकि दिनांक 20/04/91 से जनवरी 1992 तक का किराया प्रथम किश्त में अदा किए जाने तथा दूसरी किश्त का अवशेष किराया 315/-रुपए पूर्व मुजाबिर व पेश इमाम मुंशी खां को दिलाए जाने और आगामी किश्त 27/04/92 को भुगतान करने के निर्देश के साथ प्रकरण का निराकरण किया जाना परिलक्षित होता है।

13. वादी/अपीलार्थी की ओर से मूल वाद में मौखिक साक्ष्य में स्वयं पीर खां वा०सा०-01 मुन्ने खां वा०सा०-02 एवं बाबी खां वा०सा०-03 के अभिसाक्ष्य पेश किए गए थे, और वा०सा०-01 ने प्र०पी०-01 लगायत प्र०पी०-07 के दस्तावेजों को भी अपने अभिसाक्ष्य में प्रदर्शित कराया है, तथा तीनों ही साक्षियों के द्वारा इस आशय की अभिसाक्ष्य दी गई है, कि पीर खां को प्र०पी०-07 मुताबिक मुजाबिर व पेश इमाम नियुक्त किया गया है, वही निरंतर दरगाह की व्यवस्थाएं करता है, देखरेख सेवा पूजा आदि करता है, तथा दरगाह की स्वामित्व की दुकान में प्रत्यर्थागण/प्रतिवादीगण 70/-रुपए मासिक के किराएदार आबाद है, जिसका नजरी नक्शा भी वादपत्र के साथ पेश किया गया है, यह साक्ष्य भी दी गई है, कि प्रत्यर्थागण/प्रतिवादीगण द्वारा दिसंबर 2006 तक का किराया अदा किया गया और जनवरी 2007 से किराया नहीं दिया गया, टालमटोल करता रहा है, तथा दुकान के किबाड और दिवाल को क्षतिग्रस्त करके सम्पत्ति को सारवान क्षति पहुंचाई है, न्यूसेंस पैदा किया है, और दुकानों का पुनर्निर्माण बगैर खाली कराए संभव नहीं है, तथा दावा पूर्व तीन वर्ष की अवधि के आवश्यक किराए की मांग की गई है।

14. यह सही है, कि वादी/अपीलार्थी की ओर से अभिलेख पर प्र०पी०-01 लगायत प्र०पी०-07 के प्रस्तुत दस्तावेजों एवं मौखिक साक्ष्य का कोई खण्डन प्रत्यर्थागण/प्रतिवादीगण की ओर से नहीं किया गया है, इसलिए एकपक्षीय रूप से प्रस्तुत दस्तावेजों और मौखिक साक्ष्य को अविश्वसनीय मानने का कोई विधिक आधार अभिलेख पर न तो वर्तमान में है, न ही विचारण न्यायालय के समक्ष था, किंतु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में निष्कर्ष न देते हुए विधिक दृष्टि से वाद इस आधार पर निरस्त किया कि अभिलेख पर जो दस्तावेज पेश है, उससे पीर खां को वक्फ की सम्पत्ति से होने वाले लाभ को प्राप्त करने का कोई अधिकार होना दर्शित नहीं होता है, तथा वक्फ कमेट्री द्वारा उसे वक्फ की सम्पत्ति के प्रबंधन का कोई निर्देश नहीं दिया गया है, इसलिए वह प्रत्यर्थागण/प्रतिवादीगण के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही करने का अधिकार नहीं रखता है, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में मूलतः वक्फ अधिनियम 1995 (1995 का अधिनियम संख्यांक 43) जो दिनांक 22 नवंबर 1995 से प्रभावशील हुआ, उसकी धारा-3(i) पर बल दिया है, जो प्रावधान मुतवल्ली के संबंध में है और धारा-3(i)

मुताबिक मुतवल्ली से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो मौखिक रूप से अथवा किसी भी विलेख या लिखित के अधीन जिसके द्वारा कोई वक्फ सृष्ट किया गया है, अथवा किसी प्राधिकारी द्वारा किसी वक्फ का मुतवल्ली नियुक्त किया गया है और उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति है, जो किसी रूढ़ि के आधार पर किसी वक्फ का मुतवल्ली है या जो नायब मुतवल्ली, खादिम, मुजावर, सज्जादानशीन, अमीन या मुतवल्ली के कर्तब्यों का पालन करने के लिए मुतवल्ली द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति तथा इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय कोई व्यक्ति समिति या निगम हो, जो तत्समय किसी वक्फ या वक्फ सम्पत्ति का प्रबंध या प्रशासन कर रहा है।

परंतु किसी समिति या निगम के किसी उद्देश्य के बारे में यह नहीं समझा जाएगा, कि वह मुतवल्ली है, जब तक कि ऐसा सदस्य ऐसी किसी समिति या निगम का पदाधिकारी नहीं है।

15. उक्त प्रावधान में मुजाबिर को भी शामिल किया गया है, और प्र०पी०-07 के दस्तावेज मुताबिक एस०डी०ओ० गोहद द्वारा पीर खां को मुजाबिर व पेश इमाम नेमफुर्क अदायगी के साथ नियुक्त किया गया था, यह सही है, कि वक्फ सम्पत्तियों का प्रबंधन नियंत्रण जिला कलेक्टर के अधीन रहता है, क्योंकि उसे धार्मिक संस्थानों की सम्पत्तियों का राज्य की ओर से नियुक्त संरक्षक पदेन माना जाता है, ऐसे में पीर खां की जो नियुक्ति जिला कलेक्टर के अधीन तहसील स्तर पर शक्तियों का निर्वाहन करने वाले एस०डी०ओ० द्वारा किए जाने पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है और प्र०पी०-07 के तहत नियुक्ति पर कोई विवाद की स्थिति निर्मित नहीं है, ऐसी दशा में पीर खां वादी दरगाह शरीफ बाबा कपूर मस्जिद दारुगराम के अधिकृत प्रतिनिधि की हैसियत रखता है और उसे वाद संचालन करने की अधिकारिता होना प्र०पी०-07 के आधार पर माना जाएगा क्योंकि उसे पूर्व मुजाबिर व पेश इमाम की मृत्यु के पश्चात विहित प्रक्रिया के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया था, किंतु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने स्वप्रेरणा से आलोच्य निर्णय में उक्त बिन्दु को अतर्ग्रस्त किया है, क्योंकि प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण तो मूल वाद में भी एकपक्षीय थे, जिसे इस कारण उचित नहीं ठहराया जा सकता है, कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान मूल वाद प्रचलन योग्य होना दिनांक 28/03/14 के आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृ० रमेश गोविंदराम (मृत द्वारा वारिसान) वि० सुगरा हुमायू मिर्जा वक्फ ए०आई०आर० 2010 सुप्रीम कोर्ट पैज 2897 को अनुसरित करते हुए निष्कर्षित किया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त न्याय दृ० में वक्फ अधिनियम 1995 की धारा-06, 07, 83 एवं 85 की व्याख्या करते हुए यह निष्कर्ष दिया, कि वक्फ बोर्ड के समक्ष उन विवादों का निराकरण कराया जा सकता है, जहां वक्फ से संबंधित सम्पत्ति का यह विवाद हो कि सम्पत्ति वक्फ की है, या नहीं और वक्फ के बोर्ड मुतवल्ली या अन्य हितबद्ध व्यक्तियों का कोई विवाद हो या वक्फ सम्पत्ति सुन्नी वक्फ की है, या सिया वक्फ की है, किंतु जहां यह विवाद हो कि वक्फ की सम्पत्ति के संबंध में किराएदार से किराया वसूली या किरायाधीन भाग से बेदखली का वाद हो वहां सिविल न्यायालय को अधिकारिता बताई गई है, और वक्फ बोर्ड या अधिकरण के अधिकारिता न होना निर्धारित किया है, और विचाराधीन मामले में वादग्रस्त दुकान दरगाह शरीफ बाबा कपूर मस्जिद दारुगराम की होकर उसकी ओर से किरायाधीन दुकान से लिए गए

आधारों के तहत बेदखली और अवशेष किराए की वसूली संबंधी था, ऐसे में वक्फ बोर्ड की ओर से अधिकार प्राप्त न होने का बिन्दु स्वमेव नहीं उठाया जा सकता था, इस दृष्टि से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय पुष्टि योग्य नहीं है।

16. वादी/अपीलार्थी के जो अभिवचन व साक्ष्य हैं, उसके मुताबिक विवादित सम्पत्ति जो कि दरगाह शरीफ बाबा कपूर मस्जिद दारुगरान जो वार्ड नंबर-11 गोहद की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत है, उसकी सम्पत्ति में भाडेदारी को लेकर विवाद बताया गया है, अर्थात् सम्पत्ति वक्फ सम्पत्ति की श्रेणी में आती है, हालांकि स्पष्ट रूप से अभिवचन वादी/अपीलार्थी द्वारा नहीं किए गए हैं, उक्त अधिनियम की धारा-3 (K) मुताबिक वक्फ में हितबद्ध व्यक्ति से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो वक्फ से कोई धन संबंधी या अन्य फायदे प्राप्त करने का हकदार है और इसके अंतर्गत है,—
- (1) कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वक्फ से संबंधित किसी मस्जिद, ईदगाह इमामबाड़ा, दरगाह, खानगाह, मकबरा, कब्रिस्तान, या किसी अन्य धार्मिक संस्था में इबादत करने या कोई धार्मिक कृत्य करने का अथवा वक्फ के अधीन किसी धार्मिक या पूर्त संस्था में भाग लेने का अधिकार है,
 - (2) वाकिफ या वाकिफ का कोई वंशज और मुतवल्ली,
17. उक्त अधिनियम की धारा-3(R) मुताबिक, “वक्फ” से इस्लाम के मानने वाले किसी व्यक्ति द्वारा, किसी ऐसे प्रयोजन के लिए, जो मुस्लिम विधि द्वारा पवित्र, धार्मिक या पूर्त माना गया है, किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का स्थाई समर्पण अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत है,—
- (1) उपयोग द्वारा वक्फ, किंतु ऐसे वक्फ का केवल इस कारण वक्फ होना समाप्त नहीं हो जाएगा, कि उसका उपयोग करने वाला समाप्त हो गया है, चाहे ऐसी समाप्ति की अवधि कुछ भी हो,
 - (2) किसी ऐसे प्रयोजन के लिए अनुदान जो मुस्लिम विधि द्वारा पवित्र धार्मिक या पूर्त माना गया है, और इसके अंतर्गत मशरूत उल खिदमत है, और
 - (3) वक्फ-अलल-औलाद, वहां तक जहां तक कि सम्पत्ति का समर्पण किसी ऐसे प्रयोजन के लिए किया गया है, जो मुस्लिम विधि द्वारा पवित्र, धार्मिक या पूर्त माना गया है,
- और “वाकिफ” से ऐसा समर्पण करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है,
18. प्रकरण की मूल विषय वस्तु को विधिक दृष्टि से देखा जाए तो वक्फ की सम्पत्ति के भवन स्वामी और भाडेदार के बीच का विवाद प्रकरण में बताया गया है, किंतु वक्फ अधिनियम 1995 की धारा-85 मुताबिक सिविल न्यायालयों की अधिकारिता के संबंध में यह प्रावधान है, किसी वक्फ, वक्फ सम्पत्ति या अन्य मामले से संबंधित किसी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले की बाबत जिसका इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अधिकरण द्वारा अवधारित किया जाना अपेक्षित है, किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी, किंतु उक्त प्रावधान उपर वर्णित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृ० के आधार पर प्रकरण में आकर्षित नहीं होता है।

19. अब प्रकरण में यह देखना होगा कि क्या, वादी/अपीलार्थी द्वारा जो आधार मूल वाद में लिए गए थे, उन्हें वह प्रमाणित करने में सफल हुआ है, या नहीं। इस दृष्टि से अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखा जाए तो, विवादित दुकान का अवशेष किराया दावा प्रस्तुति के पूर्ववर्ती तीन वर्ष का चाहा है, किरायदारी प्र०पी०-01 के दावा पूर्व दिए गए विधिक नोटिस से समाप्त की है, जिसकी रजिस्ट्री रशीदें और पावती रशीदें भी प्र०पी०-02 एवं 03 तथा प्र०पी०-04 व 05 के रूप में अभिलेख पर है, किराएदार से दावा पूर्व की तीन वर्ष की अवधि का ही अवशेष किराया वसूला जा सकता है, किराए की दर 70/-रुपए मासिक बताई गई है, किराए की दर एवं अवशेष किराए की मात्रा के संबंध में अभिलेख पर कोई खण्डन नहीं है, जिससे अवशेष किराए के बिन्दु पर वादी/अपीलार्थी का मूल वाद मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा-12(1)ए के आधार पर एकपक्षीय रूप से डिक्री योग्य है।

20. वादी/अपीलार्थी द्वारा लिए गए अन्य आधारों में न्यूसेंस का आधार लिया है, तथा सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त किए जाने का आधार लिया है, जिसके आधार पर भी बेदखली चाही है, किंतु न्यूसेंस बाबत सुदृढ साक्ष्य नहीं दी हैं, तथा सम्पत्ति की क्षति के संबंध में कोई तकनीकी व दस्तावजी साक्ष्य भी पेश नहीं की गई है, इसलिए उक्त आधार अवश्य स्थापित नहीं होते हैं, इसलिए उक्त आधारों पर वादी/अपीलार्थी का वाद एकपक्षीय रूप से डिक्री योग्य नहीं है।

21. इस प्रकार से उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर वादी/अपीलार्थी की प्रस्तुत प्रथम सिविल अपील अवशेष किराए के बिन्दु पर स्वीकार किए जाने योग्य पाई जाती है, शेष आधार सुदृढ साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित न होने से उन आधारों पर डिक्री योग्य नहीं है, परिणामस्वरूप वादी/अपीलार्थी की उक्त प्रथम सिविल अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदत्त आलोच्य निर्णय व डिक्री दिनांकित 06/05/15 को अपास्त करते हुए निम्न आशय की आज्ञा वादी/अपीलार्थी के पक्ष में प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रदत्त की जाती है, कि -

अ.- प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण नूरमोहम्मद एवं हसन मोहम्मद विवादित दुकान जिसके पूर्व में अन्य दुकान दरगाह पश्चिम में रास्त दरगाह उत्तर में खुला चौक दरगाह और दक्षिण में आम रास्ता है, उसका दो माह के भीतर वादी/अपीलार्थी को रिक्त आधिपत्य सौंप दे, वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा इस हेतु डिक्री का अंग रहेगा।

ब.- प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण, वादी/अपीलार्थी को दावा पूर्व तीन वर्ष का 70/-रुपए मासिक भाडे की दर से विवादित दुकान का अवशेष किराया भी भुगतान करेगा तथा दावा दायरी दिनांक 25/04/12 से विवादित दुकान का रिक्त आधिपत्य सौंपने तक का भी 70/-रुपए मासिक के हिसाब से किराया अंतवर्ती लाभ के रूप में भुगतान करेगा, अन्यथा वादी/अपीलार्थी उसे निष्पादन कार्यवाही के माध्यम से वसूलने और विवादित दुकान का रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

स.- प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण अपने

प्रकरण व्यय के साथ-साथ वादी/अपीलार्थी का प्रकरण व्यय भी वहन करेगा, जिसमें अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर या तालिका मुताबिक जो भी कम हो उसका आधा जोड़ा जावे।

तदनुसार एकपक्षीय डिक्री तैयार की जावे ।

दिनांक- **21 दिसंबर 2016**

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी०सी०आर्य)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

(पी०सी०आर्य)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)